न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
15/2022	FSS ACT	28.04.2022	21.03.2025

1. श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्री ललित त्यागी पुत्र श्री महाराज सिंह, मैसर्सः महाराज एन्टरप्राईजेज,एच–1 548, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर निवासी पूरण बिहार कॉलोनी, औंडेला रोड,धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय **दिनांक 21.03.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) 52 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 20.08.2021 को दोपहर 11:30 एएम बजे मैसर्सः महाराज एन्टरप्राईजेज,एच–1 548, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर पर पहुंचा। उक्त विक्रेता को परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे नाम एवं पता पूछा जिस पर विक्रेता ने अपना नाम श्री ललित त्यागी पुत्र श्री महाराज सिंह, मैसर्सः महाराज एन्टरप्राईजेज,एच–1ए 548, ग्रोंथ सेंटर रीको,धौलपुर निवासी पूरण बिहार कॉलोनी, औंडेला रोड, धौलपुर का होना बताया एवं आवेदन ने उक्त विक्रेता से खादय पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र संख्या 12220022000088 दिनांक 07.10.2020 मौके पर दिखाया जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ में संलग्न है। निरीक्षण के दौरान उक्त विक्रेता की निर्माण ईकाई पर लगभग 500 किलोग्राम गेहूँ का आटा (बृजवासी ब्राण्ड) (लगभग 100 बैग में प्रत्येक में 5 किलोग्राम) रखा था, जो आमजन को बिक्री वास्ते रखा हुआ था उक्त गेहूँ का आटा (ब्रजवासी ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर गवाहन की उपस्थिति में विक्रेता को फार्म नं. 5ए देकर सूचित करते हुए निर्माण ईकाई में रखे गेहूँ का आटा (ब्रजवासी ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम गेहूँ का आटा (बृजवासी ब्राण्ड) वास्ते नमूना जॉच खरीदा। उक्त खरीदशुदा गेहूँ का आटा (बृजवासी ब्राण्ड) की कीमत विक्रेता को रू 40/– (अक्षरे चालीस रूपये मात्र) नकद देकर रसीद प्राप्त की फार्म नं0 5ए व माल खरीद रसीद पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कारी एवं अ
लपुर (राज.)

जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 किलोग्राम गेहूँ का आटा (बृजवासी ब्राण्ड) को अलग अलग 4 बोतलो में डालकर एयर टाईट बन्द किया तथा प्रत्येक नमूना भाग के साथ लेबल डिक्लेरेशन हेतु मूल पैकिंग का खाली बैग बांधा विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर उन पर श्रीमान डी.ओ.के कोड एवं क्रमांक डी–2161 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाया। प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारो को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. डी–2161 जो श्रीमान डी.ओ. एवं मु.चि.एवं स्वा.अधिकारी धौलपुर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनो साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक नमूना सीलड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहन ने भी पढकर, सुनकर , समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक प रवह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासा के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक,खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, भरतपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त कर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासा के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग (ii व iii भाग) मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,धौलपुर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की जो इस्तगासा के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर के पत्रांक 317 दिनांक 23.09.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला , भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया गेहूँ का आटा (बृजवासी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त पत्रांक एवं जॉच रिपोर्ट इस्तगासा के साथ संलग्न है। श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/81 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में इस्तगासा फाईल करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में Misbranded गेहूँ का आटा (बृजवासी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने जबाव में निवेदन किया है कि श्री विश्वबन्धु गुप्ता द्वारा दिनांक 20.08.2021 को दोपहर 11:30 एएम बजे " मैसर्स महाराज एन्टर प्राईजेज" एच–1 548 ग्रोथ सेन्टर रीको धौलपुर से गेहूँ का आटा (बृजवासी ब्राण्ड) के पैकिट मे से खुलवाकर 2 किलोग्राम गेहूँ का आटा लेना बताया है। यह नमूना Public Health Laboratory Bharatpur (RAJ.) से जॉच होकर आया तब इस नमूने को बैच नं. : Not Given, डेट ऑफ मैन्यूफैक्चिरिंग Not Given, के आधार पर नमूने को धारा 3(1)(zf)(c)(i) के आधार पर "मिसब्राण्ड" बताया गया है। जिस पर श्री विश्वबन्धु गुप्ता द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 26 की उपधारा (2)(ii)/52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत परिवाद पेश कर दिया गया। जिसका जबाव प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित है:–

किसी भी नमूने मे "मिसब्राण्ड" तब आता जब सामान ब्राण्डेड हो। खुले हुए नमूने का मिसब्राण्ड आने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। श्री विश्वबन्धु गुप्ता से खुला हुआ आटा 2 किलो खरीदना बताया है। मौके पर जो नमूना खरीद बिल, फर्द रिपोर्ट तथा इस्तगासा में भी पैकिट खोलकर 2 किलोग्राम आटा खरीदना बताया है। इस कारण पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्रीज की रिपोर्ट स्वंय झूठी (ERROROUS) हो जाती है। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध धारा 26(2)(ii) F.S.S. Act. 2006 की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है। यह कि धारा 46(4) F.S.S. Act. 2006 के तहत कोई सूचना ललित त्यागी पुत्र श्री महाराज सिंह को प्राप्त हुई ऐसा कोई अभिस्वीकृति पत्र इस पत्रावली में संलग्न नही है। इससे भी स्पष्ट है कि ललित त्यागी को धारा 46(4) F.S.S. Act. 2006 की कोई सूचना प्राप्त नही हुई। 46(4) F.S.S. Act. 2006 की सूचना एक Mandatory Provision है, इस Mandatory Provision की अपालना अभियोजन पक्ष के लिये घातक है। 46(4) F.S.S. Act. 2006 में मात्र रजिस्ट्री करना पर्याप्त नही है। वल्कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना पडेगा की अभियोजन पक्ष ने धारा 46(4) F.S.S. Act. की कोई सूचना प्रेषित कि और वह अभियुक्त/प्रार्थी/ललित त्यागी को प्राप्त हुई। 46(4) F.S.S. Act. 2006 की सूचना देना अभियोजन पक्ष साबित करने मे असफल रहा है। इसी कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध धारा 26(2)(ii) F.S.S. की कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है जैसा निम्न नजीर मे प्रतिपादित किया गया है – 2019 G.L.R. (S.C) Page 997

यह कि दिनांक 25.07.2011 को श्री विश्वबन्धु गुप्ता को खाद्य सुरक्षा अधिकारी (F.S.O) की शक्तियां प्रदान कर F.S.O जिला धौलपुर नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के तहत की गयी थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 के खण्ड 2 व 3 के परन्तुक के तहत नियुक्त किये गये खाद्य सुरक्षा अधिकारी इन नियमो के प्रारूप से अर्थात नियुक्त होने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिपादित विशेषकृत ट्रैनिंग पूरी करेंगे। प्रकरण में श्री विश्वबन्धु गुप्ता को दिनांक 25.07.2011 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया था और दिनांक 24.07.2013 तक श्री विश्वबन्धु गुप्ता को खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रतिपादित विशेषकृत ट्रैनिंग पूरी कर लेनी चाहिये थी परन्तु श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने कोई विशेषकृत ट्रैनिंग प्रमाण पत्र इस पत्रावली में संलग्न नही है। इस कारण श्री विश्वबन्धु गुप्ता का दिनांक 20.08.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी (F.S.O)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

होना साबित नही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3. के खण्ड 2 व 3 के परन्तुक की पालना न होने के कारण श्री विश्वबन्धु गुप्ता द्वारा दिनांक 20.08.2021 को सैम्पल (नमूना) लेने की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है। अर्थात 'NUL AND VOID" हो जाती है। इस करण भी प्रार्थी के विरूद्ध की गयी धारा 26 (2)(ii) F.S.S. Act. 2006 की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है। श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने जब 2 किलोग्राम आटा खरीदना बताया है तब नमूना खरीद बिल। कैश मैमो में 2 किलोग्राम गेहूँ का आटा खरीदना बताया है उसमे कही भी यह अंकन नही है कि ''बृजवासी ब्राण्ड'' आटा खरीदा इस प्रकार खुला आटा खरीदना बताया है इस कारण भी खुले आटे में ''मिसब्राण्ड'' आने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। यह है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गोपाल प्रसाद गोयल (अभिहित अधिकारी) ने अभियोजन स्वीकृति देते समय अपने मसितिस्क का प्रयोग नही किया अर्थात अभिहित अधिकारी द्वारा जो स्वीकृति दी गई वह ''NON APPLICATION OF MIND'' दी है क्योकि जब विश्वबन्धु गुप्ता ने एक पैकेट को खुलवाकर 2 किलोग्राम आटा लेना बताया है तथा उसे 4 अलग–अलग बोतलो मे भरना बताया है इस प्रकार जो आटा खरीदा गया वह ''Loose Sample'' की श्रेणी मे आता है। और ''Loose Sample'' मे नमूना मिसब्राण्ड आने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी डॉ0 गोपाल प्रसाद स्वामी ने जो अभियोजन स्वीकृति दी वह पत्रावली का अवलोकन किये बिना तथा अपने मसितिष्क का उपयोग किये बिना जारी की गयी है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध 26 (2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 सपठित नियम 2011 की धारा 52 की कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है।

धारा 3(P) FOOD LABORATORY (खाद्य प्रयोगशाला) : खाद्य प्रयोगशाला से केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा स्थापित और टैस्टिंग तथा कलिब्रेशन प्रयोगशालाओ या समरूप प्रत्यायन एजेन्सी के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन मण्डल द्वारा प्रत्यायित और धारा 43 के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी खाद्य प्रयोगशाला या संस्था अभिप्रेत है। धारा 43 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 में कौन–कौन सी प्रयोगशालाएँ किस–किस राज्य में निरीक्षण के लिये प्रत्यायित/लाइसेंसधारी (ACCREDITED) होंगी। इस बावत इन प्रयोगशालाओ का राज्य दर राज्य भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओ की सूची राजस्थान राज्य के बारे में जारी हुई PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJASTHAN) का नाम प्रत्यायन बोर्ड द्वारा जारी सूची में नही है। अर्थात भरतपुर (राज0) की लैब ''ACCREDITED'' लैब नही है। इस कारण भरतपुर की लैब की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को प्रस्तुत प्रकरण में दण्डित नही किया जा सकता है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध धारा 26 (2)(ii) F.S.S. Act. की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है। यह है कि दिनांक 20.08.2021 को श्री विश्वबन्धु गुप्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूना लेना बताया है और नमूना लेना '' मैसर्स महाराज एन्टरप्राईजेज ग्रोथ सेन्टर रीको धौलपुर से लेना बताया है। '' मैसर्स महाराज एन्टरप्राईजेज'' ग्रोथ सेन्टर रीको धौलपुर के विरूद्ध पृथक से अभिहित अधिकारी डॉ0 गोपाल प्रसाद गोयल ने अभियोजन स्वीकृति जारी नही की है और न ही उक्त फर्म '' मैसर्स महाराज एन्टरप्राईजेज'' ग्रोथ सेन्टर रीको धौलपुर को अभियुक्त बनाया गया है इस कारण अभियोजन स्वीकृति के अभाव में एवं विश्वबन्धु गुप्ता द्वारा फर्म को अभियुक्त न बनाएँ जाने के कारण भी प्रार्थी को दण्डित नही किया जा सकता है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध धारा 26 (2)(ii) F.S.S. Act. की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का जबाव स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध धारा 26 (2)(ii) F.S.S. Act. की कार्यवाही ड्राप किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पैरोकार सरकार व अभिभाषक अभियुक्तग को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./121/Act/2021/158 DATE 02-09-2021** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:— "**Opinion**- The sample of **'Wheat Flour'** bearing code No. and Sr. No. **D-2161** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i)** as per Food Safety and Standards (Food Products and Food Aditives) Act, 2006.

अप्रार्थी द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी **मिसब्राण्ड Wheat Flour** बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री ललित त्यागी पुत्र श्री महाराज सिंह, मैसर्सः महाराज एन्टरप्राईजेज,एच–1 548, ग्रोथ सेंटर रीको, धौलपुर निवासी पूरण बिहार कॉलोनी, औंडेला रोड,धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 21000/–रुपये (इक्कीस हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner